डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास पीठासीन अधिकारी :–हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:–16/2011 दायर दिनांक:–24.01.2011

जीसीएमएस नं. 2011/00273

1. रामवीर }
2. मेमसिंह } पिसरान घसीडा जाति जाट निवासी खेडीहैवत तहसील हिण्डौन सिटी
3. बबीता पुत्री घसीडा पत्नि सतीश हाल वासी कांचरौली तहसील हिण्डोन जिला करौली
4. सुफेदी बेबा घसीडा जाति जाट निवासी खेडीहैवत तहसील हिण्डोन सिटी

———वादीगण–04

बनाम

1. सियाराम पुत्र लटुर
2. हजारी पुत्र चौथी
3. गोविन्द सिंह } पिसरान
4. नन्दराम } कल्याण

} जाति जाट निवासी खेडीहैवत तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

———प्रतिवादीगण–04

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 1254/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री सुगर सिंह मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी की आराजी खसरा न0 1573/2313 रकबा 6 ऐयर व खसरा न0 1574 रकबा 28 ऐयर स्थित ग्राम खेडीहैवत तहसील हिण्डौन सिटी जिनमें वादीगण बहिस्सा 1/4, प्रतिवादी न0 2 बहिस्सा 1/2, प्रतिवादी न0 3 व 4 बहिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार है। तथा आराजी खसरा न0 1299 रकबा 1.77 है0 स्थित ग्राम खेडीहैवत तहसील हिण्डौन जिसमें वादी न0 1 बहिस्सा 1/24, वादी स0 2 बहिस्सा 1/16, प्रतिवादी न0 2 बहिस्सा 43/72 (1/2 + 2/3) दर हिस्सा 7/48 प्रतिवादी न0 3 व 4 बहिस्सा 43/14 (1/4 + 1/3) दर बहिस्सा 7/48 के खातेदार काश्तकार है। जब तक वादी की आराजी का विधिवत सीमाज्ञान नही हो तब तक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी की उक्त आराजी खसरा न0 1573/2313 रकबा 6 ऐयर व खसरा न0 1574 रकबा 28 ऐयर, 1299 रकबा 1.77 है0 स्थित ग्राम खेडीहैवत तहसील हिण्डौन सिटी में वादीगण के हिस्से में मजाहमत व मदाखलत नहीं करें, कोई पुख्ता निर्माण कर अतिक्रमण नहीं करें, कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित नहीं करें ना ही अन्य से करावे वादीगणों को शान्तिपूर्वक फसल काश्त करने देवे, उपयोग–उपभोग करने देवें। वादी एवं प्रतिवादीगण को निर्देश दिये जाते है कि अपनी खातेदारी भूमि वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ के सीमाज्ञान हेतु पृथक से तहसीलदार सूरौठ के यहॉ पर विधिनुसार सीमाज्ञान कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करे तथा नियमानुसार सीमाज्ञान करावे [illegible] न्यायालय हाजा में इससे संबंधित सभी प्रकार के प्रार्थना पत्र निस्तारित माने जावें। पक्षकारान [illegible] अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.08.20[illegible] यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (जिला करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:16:28 IST
Reason: SelfAttested